



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION

(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/परीक्षा 2017/5347

दिनांक 19-07-2017

संशोधित सूचना

परीक्षा मई-जून 2017 के समस्त पाठ्यक्रमों के आंतरिक अंक ऑनलाइन भरने के निर्देश एवं अंतिम तिथि परिपत्र क्रमांक 4973 दिनांक 25-04-2017 के द्वारा जारी किये गये थे। इसके अनुसार दिनांक 22-05-2017 तक ऑनलाइन आंतरिक अंक स्वीकार किये गये थे।

ऐसी संस्थाएँ जिन्होंने अभी तक आंतरिक/प्रायोगिक अंक जमा नहीं किये हैं एवं जिन संस्थाओं को नो-एडमिशन कटेगिरी में रखा गया था। उनके लिए एमपीऑनलाइन लि. के पोर्टल पर लिंक दिनांक 20-07-2017 से 24-07-2017 सायं 05:00 तक ऑनलाइन अंक भरने हेतु खोली जायेगी। आंतरिक/प्रायोगिक अंक 100/- प्रति प्रतिष्ठि की दर से आर्थिक दण्ड के साथ स्वीकार किये जायेंगे। आर्थिक दण्ड एमपीऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन ही लिया जायेगा। अध्ययन संस्थाएँ इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

(19/07)
(डॉ. राजेश पाठक)
परीक्षा नियंत्रक

पृष्ठांकन क्र./परीक्षा 2017/5348

दिनांक 19-07-2017

प्रतिलिपि

1. समस्त विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त प्रभारी, खंडवा परिसर, नोयडा परिसर, ग्वालियर, रीवा एवं अमरकंटक परिसर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त प्रभारी, संबद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संचालक, एमपी ऑनलाइन लि. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट की ओर अपलोड करने हेतु।

(19/07)
(डॉ. राजेश पाठक)
परीक्षा नियंत्रक